



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 9000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 9000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 961/23 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त गुड्डू उर्फ अर्पित यादव पुत्र मेवा लाल यादव निवासी तिन्दवारी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **01 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 07/95 धारा 452/323/504/506 भादवि के अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह निवासी नांदादेव थाना जसपुरा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 45/01 धारा 504/506(1) भादवि के अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह निवासी नांदादेव थाना जसपुरा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।